

# आदेश पत्रक

देखें अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

सी० एम० एम०

-बनाम-

बीबी रोशन वर्मा

आदेश पत्रक ता०

जिला - झाड़खंड

सं०

सन्

केश का प्रकार मुद्दान्त न्यायीय वाद सं०-02/2017-18

क्रमांक एवं आदेश की तिथि

पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई कारवाही के बारे में टिपन्ती तारीख सहित। 3

12.8.17

अपीलाकर्ता सी० एम० एम०, पिता - स्व० मनमथुन उद्योग  
 साठ - लालबगाना, 23मं डीला, गावा - झाड़खंड (पुर), जिला -  
 झाड़खंड, झारखण्ड की अपनी विश्व मशीनकारा के साथ आदि  
 दोनर विपक्षी बीबी रोशन, पिता - स्व० मनमथुन उद्योग, साठ -  
 चौकाई, गावा - पकुरिया, जिला - दक्षिण दिनापुर, पश्चिम  
 बंगाल एवं अदालत के पिता - सी० रामचंद्र कर्मा, साठ - लाल  
 बगाना, मधुमनपुर, गावा - झाड़खंड (पुर), जिला - झाड़खंड  
 झारखण्ड के निर्याद, 22 न्यायालय में अपीलार्थी, झाड़खंड  
 के नामान्तरण वाद के आदेश तिथि 12-11-15, वाद सं० - 233/15-16  
 के खिलाफ वाद दाखल किया गया है। सुन 1 देखा।

22.9.17  
 18.10.17  
 16.11.17  
 07.12.17  
 शांति 21/5/17  
 24.8.17  
 24.8.17  
 निबंधित  
 RJ1170529851N  
 14.9.17-12.8.17

अपील की सवाही समाप्त हो चुकी है। अतः  
 रामचंद्र उद्योग परिसरों में मशीनकारा 1963 की साठ के  
 अन्तर्गत अपील में मनीषन करते हुए वाद की मंजूरी  
 किया जाता है। उक्त पक्ष को नोटिश्न निर्गत करें तथा पिता  
 न्यायालय से मशीनकारा की मांग करें।

कार्रवाई दि० 22.9.17 को करें।  
 निर्यापित एवं संशोधित।  
 अग्रणी 22/9/17 सुभाष,  
 झाड़खंड।  
 अग्रणी सुभाष सुभाष,  
 झाड़खंड।

22.9.17

कार्रवाई उपस्थापित।  
 अपीलार्थी अनुपादित। विपक्षी को कोर्ट से  
 वकालतनामा एवं डायरी दी गई। नोटिश्न नामाभिलेख  
 प्रतिवेदन प्राप्त। पारित कार्रवाई समाप्त।  
 कार्रवाई दि० 18.10.17 को करें।

अग्रणी सुभाष सुभाष  
 अपीलार्थी अपस्थापित।  
 अपीलार्थी अपनी विश्व मशीनकारा के  
 साथ आदि। विपक्षी कमांक 01 एक का निबंधित  
 नोटिश्न बिना नामाभिलेख वापस। विपक्षी कमांक 02 की  
 अनुपादित। वाद में विपक्षी कमांक 02 दोनरी कोर्ट से  
 वकालतनामा डायरी दी गई।  
 कार्रवाई दि० 16.11.17 को करें।

18.10.17

11.9.18  
 15.2.18  
 08.3.18  
 05.4.18  
 26.4.18  
 17.5.18  
 21.6.18  
 19.7.18  
 20.8.18  
 10.9.18  
 15.10.18  
 01.11.18  
 26.11.18  
 13.12.18  
 07.01.19  
 31.01.19  
 25.02.19  
 18.3.19  
 18.4.19  
 06.6.19  
 11.7.19  
 01.8.19  
 29.8.19  
 19.9.19  
 03.10.19  
 10.10.19  
 सादिन

03.10.19

अभिलेख उपस्थापित।  
 उभय पक्ष अनुपादित। अपीलवाली नोटिफिकेशन  
 के उपरांत न्यायालय में उपस्थापित नई डी 221 है।  
 दि 11.7.19 से लगातार मौका दिया जाता 221 है कि 2 मा  
 किशोर प्रमा 2 की नसिनाये नई डी 221 है। अपीलवाली  
 को पुनः संनिम मौका दिया जाता है। पीठ पद 2  
 कार्य कार्य में व्यक्त।  
 दि 10.10.19 को रखें।

10.10.19

अभिलेख उपस्थापित। उपस्थापित।  
 उभय पक्ष अनुपादित। अपीलवाली नोटिफिकेशन  
 के उपरांत न्यायालय में उपस्थापित नई डी 221 है।  
 अपीलवाली को लगातार मौका देने के  
 बावजूद भी किशोर प्रमा 2 की नसिनाये नई  
 डी 221 है। नसिनाये के अपीलवाली को  
 2012/221 दिए दिए जाता है। अभिलेख की नसिनाये  
 समाप्त की जाती है।  
 उपस्थापित।  
 दि 10.10.19 को रखें।